अध्यक्ष महोदय : जब तक मेम्बर्ज एक-दूसरे के साथ को-आपरेट नही करेगे, तब तक हाउस का काम कैसे चल सकता है ? यह कोई तरीका नही है कि एक मेम्बर बोलता हो और दूसरा मेम्बर उसको रोके। यह बात गलत है। हाउस को हाउस की तरह चलना चाहिए। अगर शार्उटिग से काम चलता हो, तो मेरी कोई जरूरत नही है। इस बारे मे पहले की रूलिंग्ज है कि When the Speaker thinks that before giving the consent or declining the consent, there is some doubt about which he wants some clarification, he can ask the Member to explain it. What is wrong about it? This has been followed in this House not once but a number of times.

SHRI K. NARAYANA RAO: This is a wrong practice. You have to first give your consent under Rule 222. If you want you can hear him in your chamber, not in the House

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Hardour): Yesterday the matter was discussed at length under your chairmanship. There were four names and it was decided that three names should be ballotted and in that ballot, Mr. Vajpayee's name is No. 1 and, therefore, there is no point in the argument that the consent was not given.

MR. SPEAKER: No, no. I have not said that. Please do not misquote me. Ne question about it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: How was it ballotted?

MR. SPEAKER: I regret it. There is no question of consent. To give concent or not to give the consent, to admit a motion or not to admit a motion, it is for the Speaker to do. He can only give you time to make your submissions.

12.33 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI L. N. MISHRA *RE*. IMPORT LICENCE CASE

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) अध्यक्ष महोदय, 9 सितम्बर, 1974 को जब इस सदन में लाइसेंस स्केंडल पर चर्चा हुई, तो रेल मंत्री, श्री ललित नारायण मिश्र, ने यह कहा था कि उनके ग्राम सरौनी में उनके पूज्य पिता जी के नाम पर श्री तुलमोहन राम द्वारा जो विद्यालय बनाया जा रहा है, उसके बारे मे उन्हे कोई जानकारी नही है। उस दिन की कार्यवाही का एक अश मैं उद्धृत करना चाहता हू

> "श्री वाजपेयी यह भी एक तथ्य है कि श्री तुलमोहन राम के साथ श्री ललित नारायण के घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्री तुलमोहन राम ग्राम सरौनी जिला सहरसा के निवासी है। वे अपने ग्राम मे श्री ललित नारायण मिश्र के पिता पूज्य प० रवीन्द्रनाथ मिश्र के नाम पर एक स्कूल बनवा रहे है। उसके लिए चन्दा इकट्ठा किया गया है।
>
> श्री ललित नारायण मिश्र हम को ज्ञान नही है।
>
> श्री वाजपेयी लेकिन हमें ज्ञान है।"

सी०बी०आई० ने इस लाइसेंस काड की जो जाच की है, उसके अन्तर्गत सी०बी० आई० के अधिकारी ग्राम सरौनी मे गये थे। उन्होने इस विद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति का एक रजिस्टर अपने कब्जे में लिया है। उसकी एक कापी मेरे पास भी है, जो उस दिन मैंने आपके ध्यान में लाई थी। उसमें 22 फरवरी, 1973 की कार्यवाही इस प्रकार उद्धृत की गई है :

> "श्री तुलमोहन राम एम० पी० ने इस विद्यालय का नामकरण श्री ललित नारायण मिश्र, केन्द्रीय रेल मंत्री, के

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

स्वर्गीय पिता, श्री रवीन्द्रनाथ मिश्र के नाम पर ही करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि स्व० रवीन्द्रनाथ मिश्र के नाम पर विद्यालय खोलने पर विद्यालय आर्थिक समस्याओं से करीब-करीब मुक्त हो जायेगा। ललित बाबू स्वयं धनी-मानी व्यक्ति है। विद्यालय को उनके प्रयास से स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब नहीं होगा। मंत्री महोदय से उनकी व्यक्तिगत बातचीत हुई है।''

मेरा निवेदन है कि रेल मंत्री ने जान-बूझ कर सदन को गुमराह किया है। विद्यालय की स्थापना के लिए धन एकत्र करने की बात सी०बी०आई० की चार्जशीट में भी आ गई है।

29-8-74 को श्री ललित नारायण मिश्र ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते हुए कहा

"As far as I remember I passed on the letter to the officer concerned in the normal course of business. No order was passed by me nor any licence was issued during the period I remained in that Ministry I strongly repudiate the allegation that I had anything to do with the obtaining of signatures on the application for grant of licence"

अध्यक्ष महोदय, यह याद रखिये कि यह सी०बी०आई० की रिपोर्ट नहीं है। यह केवल चार्जशीट के आधार पर है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर): वह मेरे पास है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस रिपोर्ट में क्या होगा, यह हम नहीं जानते। लेकिन सी०बी०आई० की चार्जशीट में जो बातें कही गई है, उन से यह स्पष्ट है कि श्री ललित नारायण मिश्र, को ये लाइसेंस देने में बड़ी रुचि थी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। चार्जशीट से जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात साफ है कि श्री पिल्ले और श्री नैयर ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे, जो श्री ललित नारायण मिश्र को प्रभावित कर सकें। बाद में उन्हे पता लगा कि ऐसे व्यक्ति हैं श्री तुलमोहन राम। इस पर उन्होने श्री तुलमोहन राम से सम्पर्क स्थापित किया।

SHRI N K P SALVE (Betul): Are you on the merits of the privilege issue?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष महोदय मैं तथ्य सामने ला रहा हूं।

SHRI VASANT SATHE (Akola): This is what happens,—you open the flood-gates, It is converted into a debate

श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे अपना केस एस्टाब्लिश करने का मौका नहीं दिया जायगा?

SHRI N. K P. SALVE: You in your wisdom said that notwithstanding the provision of Rule 225 and other rules, it is open to you in the House to ask the Member to make preliminary submission on a notice of privilege But what ought to be the scope or limit of such submissions? Under the garb of preliminary submission, substantive motions of privilege are sought to be discussed. In that case what is the remedy that we have He will have his say in the matter and we will be denied the opportunity and there will be headlines tomorrow only of what opposition says It is absolutely necessary in fairness to the House that you should be very strict in regard to the preliminary submissions.

MR SPEAKER: The reason for that is: whatever is before me I have to see whether is anything directly connected or not. I have asked him as to how he can make a case out of it Afterall we cannot deal with this subject in an off-hand manner. I have to act as Speaker,

SHRI N. K. P. SALVE: Do I take it that there is only limit of time and no other limit? You must regulate the proceedings of the House at some stage or the other.

(*Interruptions*)

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Can we adopt any other procedure than the one we adopted in the case of three Ministers only three days ago?

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I think, for the disposal of this motion a little clarification is necessary. When on the face of it, I think, it is not admissible I will not allow any Member but when there is some suspicion I have to allow him.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल तथ्य बता रहा हूं । मै उनकी व्याख्या नही कर रहा हूं । . . (**व्यवधान**) . . .

अब इन्होंने फिर टोकाटाकी शुरू कर दी । एक बार इसी का फैसला हो जाय कि ये बोलने देंगे या नही बोलने देंगे । आज यह तय करके आये हैं कि हम लोगों की आवाज को रुद्ध कर देंगे । ये आपका आदेश मानने के लिए भी तैयार नही हैं । हम भीड़ के सामने डरने वाले नहीं है । ये चिल्लाए । इनको चिल्लाने दीजिये । यह भाटों की भीड़ यहा इकटठा हो गई है सच्चाई को दबाने के लिए । . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय . देखिए, इनर्नी टेंशन में न तो दिमाग ही सही काम करता है और न कुछ बैलेंस ही आप रहने देते हैं, न कुछ ध्यान दिया जाता है । कैसे चलेगा काम ? जिसको बोलना होता है उसको भी गुस्सा चढ़ा देते हैं, जिसको सुनना होता हैं उसको भी चढ़ा देते हैं । कैसे नार्मल तौर पर काम चलेगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूं । आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं । अगर इसमें ये बाधक बनते है तो मैं क्या करूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप ही बताइए मैं क्या करूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जरा इनको डाटिये, फटकारिए ।

अध्यक्ष महोदय · बाट कर ही दे सकता हूं । आधा इनको आधा उनको ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनके हिस्से में ज्यादा आना चाहिए, हमारी संख्या कम है, इनकी ज्यादा है ।

अध्यक्ष महोदय : फटकारों का टोकरा रख लेता हू, जो करेंगे उनकी तरफ फेंक दूगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चार्जशीट के अनुसार 5 फरवरी, 1973 को श्री के० आर० पिल्ले ने एक अन्तरिम रिपोर्ट श्री एन० के० सिह को भेजी । श्री एन० के० सिंह श्री ललित नारायण मिश्र के स्पेशल असिस्टेंट थे । ज्वाइंट कंट्रोलर ने कहा कि सारे मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और अगर मंत्री महोदय को आवश्यक समझा जाय तो सूचित किया जाय । चार्ज शीट के अनुसार श्री एन० के० सिंह ने यह राय लिखी ।

5 फरवरी को श्री ललित नारायण मिश्र ने व्यापार मंत्रालय को छोड़ा और रेल मंत्रालय से नाता जोड़ा । लेकिन जाते-जाते वह लाइसेंस स्कैंडल के बारे में तुरत फैसला किया जाय इस तरह की इच्छा प्रकट कर गये । मैं चार्ज-शीट से उद्धृत कर रहा हूं । यह एन० के० सिंह का नोटिंग है :

"Minister desires that this case should be finalised quickly, as it has been pending for a long time."

अध्यक्ष महोदय एक बात बताइए, मुझे भी जरा गाइडेंस दीजिये. . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी आप जरा इसको पूरा सुन लें।

"Minister desires that this case should be finalised quickly, as it has been pending for a long time. According to his understanding, the Public Notices were not properly worded or have been incorrectly interpreted. Minister for Foreign Trade also feels that if an injustice has been done to the appellant, remedial action should be taken and such reliefs as are possible under the Import Control Regulation should given to them"

यह एन० के० सिंह का नोटिंग है और मंत्री महोदय का यह कहना है

"As far as I remember, I passed on the letter to the Officer concerned in the normal course of business. No order was passed by me."

अध्यक्ष महोदय, क्या आर्डर केवल लिखित पास किया जाता है? क्या रेल मंत्री का कहना यह है कि एन० के० सिंह ने जो नोटिंग की वह उनकी राय के खिलाफ थी? क्या एन० के० सिंह से उनकी बात नहीं हुई होगी। क्या यह इतना गैर-जिम्मेदार अफसर है जिसको कि रेल मंत्री ने अपना स्पेशल असिस्टेंट रखा? रेल मंत्री का स्पेशल असिस्टेंट जो पहले व्यापार मंत्रालय मे था। फिर उनके साथ आ गया रेल मंत्रालय मे . . . (**व्यवधान**): वह कह रहे है कि वह नही आया। मैं मान लेता हू लेकिन श्री एन० के० सिंह के नोटिंग से क्या पता लगता है? . . . .

अध्यक्ष महोदय आप मुझे बतलाइये, अगर एन० के० सिंह ने मिनिस्ट्री छोड़ दी थी तो वह बाद मे क्या लिखता?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी . अध्यक्ष महोदय, अगर श्री ललित नारायण मिश्र यह कह देते कि मैंने मंत्रालय छोड़ने से पहले श्री एन० के० सिंह से कहा था कि इस मामले में जल्दी फैसला होना चाहिए, अगर वे कहते—मै समझता हू कि इस मामले में लाइसेंस देना उचित है, तो तथ्य सामने आ जाते। लेकिन उन्होने कहा है—इस लाइसेंस स्कैंडल से उनका कोई सम्बन्ध नही है। लाइसेंस दिलाने मे उनका कोई हाथ नही है। अगर उनका हाथ नहीं है तो फिर एन० के० सिंह को यह कहने की क्या जरूरत थी कि इस मामले मे लाइसेंस मिलना चाहिए, ऐसा वह समझते है। जिस दिन वह मंत्रालय छोड़ रहे थे उस दिन इस लाइसेंस काण्ड के बारे मे अपने स्पेशल एसिस्टेंट को निर्देश देने की क्या जरूरत थी। नये मंत्री आते वे फैसला कर सकते थे। मगर उन्होने तो तुलमोहन राम को वायदा किया था और उस वायदे को निभाने के लिये जाते-जाते अपने एसिस्टेंट द्वारा वे यह नोटिंग करा गये कि लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि सदन को जानबूझ कर गुमराह किया गया है, तथ्यों को दबाया गया है। सारा लाइसेंस काण्ड श्री ललित नारायण मिश्र के इर्द-गिर्द घूमता है, चार्जशीट से भी यही पता लगता है, जब सी०बी०आई० रिपोर्ट आयेगी, तब पता नही और क्या गुल खिलेगा। लेकिन इस समय तो चार्जशीट के अनुसार ही श्री ललित नारायण मिश्र विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी है।

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय इस वक्त आप को एडमिसिबिल्टी के बारे मे फैसला करना है। तो इसके लिए जो आवश्यक बाते है जो आवश्यक तथ्य है उन्ही को इस वक्त सदन के सामने रखूगा। अगर आप हमारे प्रिवलेज नोटिस को स्वीकार करेंगे तब जो हमारा सब्सटेन्टिव मोशन है उस को आप के सामने रखूगा।

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मुझे यह सिद्ध करना है कि श्री ललित नारायण मिश्र के खिलाफ प्राइमा-फेसाई कैसे बनता है। इतना अगर मैंने सिद्ध कर दिया तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे नोटिस को स्वीकारेंगे। अध्यक्ष महोदय, सब से महत्वपूर्ण बात एक है कि जब श्री पिल्ले और श्री नायर इस की खोज में थे कि कौन ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो मिनिस्टर को प्रभावित कर सकता है तो श्री गुरबचन सिंह उन को तुलमोहन राम के पास ले आये . (व्यवधान) . वह अपराधी है आफेण्डर है गुरबचन सिंह जो इस में पकड़ा गया है वह उन को तुलमोहन राम के पास ले गया। तुलमोहन राम ने कहा कि मेरी ललित नारायण मिश्र के साथ बड़ी घनिष्ठता है मैं उन को प्रभावित कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय उस समय योगेन्द्र झा भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि यही काम का आदमी है यह ललित नारायण मिश्र को प्रभावित कर सकता है।

दूसरी बात—अब घटनाचक्र को देखिए—चार्जशीट के अनुसार श्री एन० के० सिंह दो दफा श्री तुलमोहन राम का रिप्रेजेन्टेशन अस्वीकार होने के बाद (आप जानते हैं श्री एन० के० सिंह फारेनट्रेड मिनिस्ट्री में श्री ललित नारायण मिश्र के सलाहकार थे) श्री तुलमोहन राम को सलाह देते हैं कि ललित-नारायण मिश्र के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझे अधिक संसद सदस्यों के हस्ताक्षर से मैमोरेण्डम चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह कहां से कह रहे हैं?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अब इन अनपढ़ लोगों से मैं कैसे बात कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक ही पूछ रहे हैं वह कहां लिखा है?

श्री मधु लिमये : मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि मेरा प्रिव लेज मोशन चार्जशीट के अध्ययन पर आधारित है मैं उस से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। श्री एन० के० सिंह ने यह सलाह दी और उस सलाह के अनुसार तत्काल यह मैमोरेण्डम दिया गया। इस बीच में 28 अगस्त 1972 को चीफ कन्ट्रोलर ने चार्जशीट के अनुसार स्पष्ट निदेश दिया था कि इस केस को री-ओपन नहीं करना चाहिए। यह चीफ कन्ट्रोलर का आदेश था लेकिन ललित नारायण मिश्र जी कहते हैं—मैंने कोई दिलचस्पी नहीं ली रुटीन के तौर पर मैंने कह दिया कि इस मामले को देखिए— यह बात सही नहीं है। चीफ कन्ट्रोलर के आदेश के बाद श्री ललित नारायण मिश्र श्री के० एन० आर० पिल्ले और रामन ज्वाइंट चीफ कन्ट्रोलर अपने डिप्टी को आदेश देते हैं कि पाण्डिचेरी जाइये जो यूनियन टैरिटरी है और आन-दी-स्पाट जांच कर के रिपोर्ट दीजिए। क्या यह उस में दिलचस्पी लेने का काम नहीं है? इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल का सब से बड़ा अधिकारी आदेश देता है कि इस केस को रि-ओपन नहीं करना चाहिए लेकिन उस के बावजूद श्री ललित नारायण मिश्र के० एन० आर० पिल्ले और रामन आदेश देते हैं कि आन-दि-स्पाट एंक्वायरी करो।

अध्यक्ष महोदय, 20 हजार रुपए एन० के० सिंह ने मांगा—उस को सी० बी० आई० ने मिस रिप्रेजेन्टेशन कहा है लेकिन एन० के० सिंह ने जो यह सलाह दी कि मिनिस्टर कहता है कि मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए अधिक संसद सदस्यों के हस्ताक्षर मुझे चाहिए—इस को मिस रिप्रेजेन्टेशन नहीं कहा। 20 हजार का मामला क्या है—अगर यह मिसरिप्रेजेन्टेशन है तो एन० के० सिंह ने जो सलाह दी कि मिनिस्टर के हाथों को मजबूत करने के लिए अधिक संसद सदस्यों के हस्ताक्षर से मैमोरेण्डम चाहिए—उस को

[श्री मधु लिमये]
सी० बी० आई० ने मिसरिप्रेजेन्टेशन क्यों नहीं कहा ?

तीसरी बात—ता० 5 को ये रेल मंत्रालय का चार्ज लेते हैं सी० बी० आई० के अनुसार उसी दिन तीन घटनायें लगातार होती हैं—जल्दी में के० एन० आर पिल्ले अन्तरिम रिपोर्ट देते हैं—मेरे पास डेट्स हैं और डेट्स इस मे बहुत महत्वपूर्ण हैं—ता० 5 को मिनिस्टर ओथ लेते है उसी दिन के० एन० आर० पिले अन्तरिम रिपोर्ट भेजते हैं और उसी दिन एन० के० सिंह यह नोटिस करते हैं कि मंत्री जी की राय मे यह अन्याय हुआ है तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, एन० के० सिंह की नोटिंग की तारीख क्या है—इस के बारे मे अभी दुविधा है ।

हो सकता है कि यह बैक-डेट भी किया गया हो—लेकिन सी० बी० आई० ने इस लाइन पर इन्वेस्टीगेशन को आगे नही बढ़ाया कि क्या नोटिंग पर तारीख नही दी है. . (व्यवधान) . . एन० के० सिंह उन के एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, कदम कदम पर उन को सलाह देने का काम कर रहे थे। मुझे इस का उत्तर मिलना चाहिए कि यदि 5 तारीख की नोटिंग थी तो उस पर तारीख क्यों नहीं थी ? डीम्ड-टुबी क्यों लिखा है—यह सी० बी०आई० ने ऐसा लिखा है । इस लिये अध्यक्ष महोदय, यह तीसरी बात होती है।

13.00 hrs.

उस के बाद अध्यक्ष महोदय, एन० के० सिंह ट्रांसफ़र नहीं किये जाते हैं। आप दरबारी के बारे में कह रहे थे, माननीय अटल जी की चलती हुई दरबारी माइग्रेट किये, एन० के० सिंह माइग्रेट नहीं किये, बल्कि श्री ललित नारायण मिश्र की कंडीशन थी कि इसी शर्त पर मैं व्यापार मंत्रालय छोड़ूंगा कि मेरा जो चमचा है वह मेरे बाद इन का स्पेशल असिस्टेंट रहे । इसलिये और भी ललित नारायण मिश्र की कामप्लिसिटी है । एन० के० सिंह तुलमोहन राम को कहता है कि जब तक केसेज अदालत में रहेंगे मामला रीओपन नही किया जायेगा। सी० बी० आई० रिपोर्ट मे हैं । तत्काल केसेज वापस होते हैं और हाई कोर्ट की सर्टिफ़ाइड कापी सीधी ललित नारायण मिश्र के पास पहुंचती है, यह चार्ज शीट में दिया हुआ है । तो यह इनफ़रेंस मूर्ख भी निकाल सकता है, गधा भी निकाल सकता है । यह सलाह दी गई, अदालत से केसेज वापस लेने की सलाह, यह एन० के० सिंह की अपनी सलाह नही थी बल्कि ललित नारायण मिश्र की थी । वह केवल ट्रांसमिट करने का काम कर रहा था । और बाद की घटनाओं से साबित होता है कि केसेज वापस होते है और उनकी जानकारी सीधी मिनिस्टर को दी जाती है । क्योंकि जिस चीफ़ कन्ट्रोलर ने कहा था कि इस मामले को री-ओपिन नही करना चाहिये, उसी ने यह कहा था कि अदालत से मामला जाता है तो हमको कन्टेस्ट करना चाहिये । और इसीलिये माननीय ललित नारायण मिश्र ने यह सलाह दी कि अदालत से केस को निकालो और उनकी सलाह को एन० के० सिंह ट्रांसमिट करता है। फिर तुलमोहन राम केस करने वालों को बताता है, वह केसेज वापस लेते है और उसकी जानकारी सीधे ललित नरायण मिश्र के पास जाती है ।

अध्यक्ष महोदय, और भी इसमें बहुत सारी मजेदार बातें हैं । सी० बी० आई० की चार्जशीट में कहा गया है कि तुल मोहन राम को 1,20,000 रु० जो मिला था रिश्वत के तौर पर उसका बटवारा कैसे हुआ ? वह एक कागज के ऊपर लिखा हुआ था और वह कागज सीज किया गया है । लेकिन सीज डाकूमेंट्स में उस कागज का उल्लेख नहीं है

एक एक बड़े बड़े कंटेंमप्ट के मामले बन रहे हैं, जो सीज्ड डाकूमेंट करके बताया जाता है, यह कागज सीं० बी० ग्राई० को मिला है ग्रौर उसमें ऐंट्रीज दी गई हैं कि उसका बटवारा कैसे हुआ । ग्रगर वह कागज सी० बी० ग्राई० के द्वारा लिस्ट ग्राफ डाकूमेंट्स में जाता तो हम लोग भी समझ सकते थे, ग्रदालत भी इसके ऊपर निर्णय करती कि क्या 20,000 रु० एन० के० सिंह को इस में से दिया गया ? ग्रध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि ग्रौर तीन लोग उस समय मौजूद थे जब इस रकम का बटवारा हुआ । यह चार्जशीट में दिया गया है । ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने चार्जशीट को नहीं पढ़ा वर्ना ग्राप यही ऐलान करते कि इनके प्रिविलेज मोशन को मैं मान रहा हूं । इसलिये मैं तफ़सील में जा रहा हूं । ग्रगर ग्राप कहते कि चार्जशीट पढ़ी है तो मेरा काम ग्रासान हो जाता ।

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): Now he is giving a good chit to the CBI though he has all along been condemning the CBI, saying that it is not doing this or that.

श्री मधु लिमये : : मैं कंडेम कर रहा हूं । ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब इस लाइसेंस के बारे में व्यापार मंत्री ने यह कहा कि ट्रैफ़िकिंग नहीं हो रही हैं । लेकिन इस लाइसेंस को इशू करना ग्रौर उसमें ट्रैफ़िकिंग करना, एक ही चीज के दो पहलू हैं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : The only question is whether he has made a deliberate statment. ग्रापने प्रिविलेज इस बात से पैदा किया है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वह सही नहीं है । यही कहा न ग्रापने ?

श्री मधु लिमये : नहीं, नहीं । मैं ग्रब माननीय चट्टोपाध्याय के ऊपर नहीं बोलूंगा । मैं माननीय एल० एन० मिश्र के बारे में बोलूंगा ।

ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय एल० एन० मिश्र के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मधु लिमये : मैं एल० एन० मिश्र के बारे में कह रहा हूं । श्री ललित नारायण मिश्र ने इस मामले में पहले से दिलचस्पी इसलिये ली थी कि यह तो मानकर ही चलते थे कि इन लाइसेंसों को बेचा जायेगा, यह मैं सिद्ध करना चाहता हूं । ग्रौर इसीलिये इस चार्जशीट में जो शीज्ड डाकूमेंट्स किये गये हैं उसमें ग्रली सिद्दीकी का नाम तीन दफ़ा लिया गया है कि होटलो में जाना ग्रौर पार्टियां करना, कौमर्स मिनिस्ट्री के ग्रधिकारियों को खिलाना पिलाना । ग्रौर इसी ग्रली सिद्दीकी के बारे में 28 ग्रगस्त को मैंने चार्ज लगाया था कि इंडो बांगला देश ट्रेडिंग कोरपोरेशन की ग्रोर से . . . . .

MR. SPEAKER: Kindly confine yourself to the motion.

श्री मधु लिमये : : इसका सीधा सम्बन्ध है कि श्री ललित नारायण मिश्र ने, लाइसेंस बेचे जायेंगे, इसी ग्राधार पर उन्होंने इस में इटरेस्ट लिया । ग्रौर सब से महत्वपूर्ण बात ग्रध्यक्ष महोदय, यह जो बार बार कहा जाता है कि ग्रन्याय हुआ इसके बारे में सी० बी० ग्राई० की चार्जशीट के दूसरे पृष्ठ पर कहा गया है कि कोई ग्रन्याय नहीं हुआ है । जो शुरू का 1955 का ग्रार्डर था उसी में कहा गया था कि यह सभी टेरीटरीज के लिये है :

> "In order to recupe the losses in turnover and trade of the importers of the former French possessions, the Government of India extended facilities by issue of special additional licences to only established importers of the whole of the territory of the former French establishments."

क्या होल ग्राफ़ दी टेरीटरी में माहे ग्रौर यनम नहीं ग्राता ? कौन सी व्याख्या है ?

[श्री मधु लिमये]

तो शुरू से ही यह फ्रौड चल रहा है कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है । मूल जो आर्डर था पूरी टेरीटरी के लिये था और उसमें यनम, माहे, कारायकल और पांडेचेरी भी आये । तो ये लाइसेंस जान बूझ कर रिश्वत देकर प्राप्त करना और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनको बेचना, इसकी पूरी कांसप्रेसी थी, षडयंत्र था । लेकिन उसमें केवल एस० एस० पिल्ले, के०वी० नायर, गुरुबचन, तुलमोहन राम, ये ही नहीं बल्कि एन० के० सिंह, के० एन० आर० पिले, रामन और इनका सरदार, श्री ललित नारायण मिश्र, यह भी इस कांसप्रेसी में सम्मिलित हैं । और इसलिये अगर यह प्राइमाफ़ेसी केस नहीं है तो तुलमोहन राम के बारे में और कौन सा प्राइमाफ़ेसी केस है ? आपने कल स्पष्टीकरण किया कि चार्जशीट के आधार पर ही मैंने उसको प्राइमाफ़ेसी दोषी माना है । तो चार्जशीट का जो एनेलेसिस मैं ने आपके सामने रखा आप को अध्यक्ष महोदय, हिम्मत करनी चाहिये और कहना चाहिये कि इन कांस्पिरेटर्स का जो सरदार है श्री ललित नारायण मिश्र, इसके ऊपर प्राइमाफ़ेसी केस बन जाता है और उसके खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये ।

मैं अध्यक्ष महोदय, आज यह भी कह रहा हूं कि श्री ललित नारायण मिश्र को तत्काल इस्तीफ़ा देना चाहिये । अगर यह नहीं हटते हैं तो प्रधान मंत्री को इनको तत्काल निकाल देना चाहिये । । वरना यह प्रिवलेज की बहस ठीक तरह से नहीं हो पायेगी ।

श्री जनेश्वर सिंह (इलाहाबाद) सरकार पर अगर इनको एतराज है तो सरगना कहा जाये ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I start from the ruling that you had given in your wisdom on 2nd December. You had said:

"In order to constitute a breach of privilege or contempt of the House, it has to be proved that the statement was not only wrong or misleading but it was made deliberately to mislead the House. In this connection, I may refer to a ruling given on 18-4-1966 by the then Speaker, Sardar Hukam Singh. The ruling was as follows:

'If there is any discrepancy or a statement is not correct, there is no question of any privilege motion unless it is proved that a wrong statement has been made deliberately knowing the true position.'..."

Now, I shall dwell absolutely on what the Government has circulated in the shape of documents and also from the proceedings of the House.

This is what Shri L. N. Mishra said on 28th August, 1974 knowing fully well what the position was. I quote:

"I recollect having received a letter purporting to bear the signatures of a number of MPs when I was in charge of the former Ministry of Foreign Trade. As far as I remember I passed on the letter to the officer concerned in the normal course of business. No order was passed by me."

This is the most important thing. Mr. Vajpayee has quoted certain other things. I want to quote certain things from the chargesheet. This is from Jackson, Superintendent of Police, CBI, who says in the chargesheet:

"Shri Tul Mohan Ram presented the representation to the Minister on 7-4-1971."

Then I quote:

"At this stage Shri Tul Mohan Ram after meeting Shri N. K. Singh officer on Secial Duty in the Ministry of Foreign Trade who was handling the matter told Shri S. M. Pillai and Shri K. V. Nair that the issue could be examined afresh only after the writ petitions filed in

the Delhi High Court by the merchants of Yenam and Mahe were withdrawn. The writs were accordingly withdrawn on 11-9-72 by the traders through their advocate Sardar Sadhu Singh. Shri Sadhu Singh informed Shri L. N. Mishra through his letter dated 15-9-72 enclosing certified copies of the High Court Order about the withdrawal of the writs."

Does it not speak for itself? Then it says:

"On or about 22-11-72 this representation was taken by Shri Tul Mohan Ram to the Ministry and was made over to Shri N. K. Singh as the Minister was then not available."

The Minister said, a letter. See the position here. If the Minister was available this would have been handed over to him. It would have been given to the Minister. Then it says:

"On 23-11-72 Shri Tul Mohan Ram after meeting Shri L N. Mishra in his office told S Shri K. V Nair and S M Pillai that the Minister had asked the CCI&E to examine the position and put up the case early "

—Not in a routine way, but 'early'. This is what is stated here Then it says:

"This representation was despatched to the CCI&E on 24-11-72 from the Personal Section of the Minister after the acknowledgment of this receipt was sent to Shri Tul Mohan Ram by Shri L. N. Mishra, *vide* his letter dated 24-11-1972."

I cannot imagine in my eight years of Parliamentary life an acknowledgment being sent so quickly, being sent the same day or almost the same day and here is an acknowledgment which was sent almost the same day. Then it says:

"After pursuing the advice of the CCI&E in his note dated 28-8-72 the Minister had in the meantime already directed on the spot examination of the matter at Pondicherry by S/Shri K. N. R. Pillai and K. Raman who were going to that site on some official work"

—I don't know what official work they were going in for. The Minister did not wait for a report to come in, but he ordered on the spot examination. So, between these dates, 24th and 28th what happened? Next thing is this. I quote.

"On 5-2-72 Shri K. N. R. Pillai sent an interim report saying that a detailed report of the Controller of Pondicherry in this matter was awaited and that the Minister be apprised if necessary."

On 5-2-73 Shri L. N. Mishra took over the office of the Ministry of Railways.

On the relevant file there is nothing of Shri N. K. Singh admitted to be dated 5-2-1973 to the effect that:

"the Minister desired that this case should be finalised quickly as it had been pending for a long time."

Further I quote:

"According to our understanding, the public notices were not properly worded or have been incorrectly interpreted. The Minister of Foreign Trade also feels that if an injustice has been done to the appellant the remedial action should be taken."

In this context one must note that the grant of additional special licences was absolutely withdrawn in October 1959 and all the seven applicants did not fulfil any of the conditions that

[Shri Jyotirmoy Bosu]

were required to be fulfilled for additional special licences. These two things are of vital importance. Four of his predecessors, Sarvashri T. N. Singh, Manubhai Shah, Bhagat and Dinesh Singh, to my information declined grant of the licences. Suddenly, the fifth man discovers that injustice has been done. Now, I want to know why is he still in his office? Is it not a fact that his father. Mr. T. P. Singh was in the Kosi project and enquiring into certain affairs? How long has he stayed in Delhi? Is it not a fact that while he was coming from abroad at Palam a special search was conducted into his belongings because of the allegation of Interpol that he was carrying precious jewellery. I want to know how many years he has spent in Delhi and why has he not been sent back? Is it not being done at the instance of Shri L N. Mishra because Mr. T. P Singh had obliged him and he is returning that obligation.

AN HON. MEMBER: What about T P's. father?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I will tell you about that outside In this connection I want to mention the case of Mr. Maudling. Mr. Maudling had resigned his office because his wife had received a small subscription contribution for a genuinely charitable purpose from a man who was involved in a racket. When the misdeeds were exposed Mr. Maudling resigned from ministership. But in this country even if you go on beating for thirty days if he is a minister he sticks to the Chair and does not resign. Although Mr. Limaye had talked about it yet I want to make it elaborate. namely, the two documents seized by CBI, that is, the minutes of the meeting of the school at Sarauni. Mr. Kaleshwarji has told the CBI that in that meeting Mr. Tulmohan Ram had said if the school is named after the late father of Shri L. N. Mishra I shall be able to give you at least Rs. 2 to 2½ lakhs. If you kindly order that these two items be seized, namely, item No. 76, a Hindi letter dated 13-3-1973 from Shri Tulmohan Ram addressed to Shri Kaleshwarji and item No. 148, seizure of memo dated 14-10-1974 showing seizure of documents by Shri Des Raj, DSP from Shri Kaleshwar Mandal you will see in the minutes of the meeting it is recorded that if the school is named as per Mr. Tulmohan Ram's desire, he would be able to make another Rs. 2 to 2½ lakhs. I do not know what is the fountain where from the money is coming.

Therefore. for the sake of good order and some amount of fairplay in public life, it is desirable that Shri L. N. Mishra resigns and the privilege motion is discussed at length in the Privileges Committee.

MR. SPEAKER: I think it is already near 13 30. I shall take it up tomorrow. I shall listen to the Minister tomorrow and also you, Mr. Shyamnandan Mishra.

So, we adjourn for lunch to reassemble at thirty minutes past two of the clock.

13 21 hrs

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14 30 hrs.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं ने लिख कर दिया है और आप मुझेएक मिनट मेहरबानी करके सुन लें । मैं बहुत परेशान हूं

कि कल मुंगेर जेल में जो मासूम और निष्पाप छात्र मीसा के तहत बन्द हैं —

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is this not within the State and is there not a State Government there?

श्री मधु लिमये : यही मैं बताने जा रहा हूं ..... (व्यवधान).....

MR. DEPUTY-SPEAKER: MISA is administered by the State Government.

श्री मधु लिमये : मीसा के तहत ये लड़के बन्द थे। उनके ऊपर जेल में लाठी चलाना और क्रिमिनल कैदियों से पिटवाना यह मानवियता की हत्या है और जब मानवीयता और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का सवाल आ जाता है तो पार्लियामेंट को अपनी राय स्पष्ट तरीके से इसके बारे में रख देनी चाहिये (व्यवधान) क्या बिहार के बारे में यहां चर्चा नहीं होगी ? मेरी राय में तीन चार बार बिहार बारे में यहां चर्चा हो चकी है और म समय मैं बिहार में कोई प्रशासन का सवाल नही उठा रहा हूं। यह पूछता हूं कि लड़कों के ऊ र जेल में इस तरह लाठी चार्ज करना, उनको पीटना क्या न्याय-संगत है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय से आप इस बारे में एक वक्तव्य सदन में दिलावायें।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Yesterday....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not the same thing every day.

SHRI S. M. BANERJEE: It is a continuing matter. Yesterday when I raised the question of dearness allowance to the Central Government employees nobody was present. Today fortunately the Finance Minister is here. I know that Mr. Subramaniam had actually assured the Central Government employees when they went to him in a mass deputation that he would take adequate steps and see that this was finalised early. Now, first June instalment, first July, first September and one more have become due. Let us know whether he is going to make a statement today, tomorrow or the day after or on the coming Monday. It should be paid. Yesterday permission was not give and so I did not raise it. With your permission I am raising it now. I should request you to ask the Finance Minister whether he would be making a statement and if so when because the Central Government employees throughout the country have taken a decision on this matter. The Finance Minister is here and you can ask him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have made the point; you raised the voice and the Minister has heard you. It is upto him; he has heard you.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North-East): Having permitted the mention of this matter, are you going to permit the Treasury Benches to remain dumb as they are in spite of your expostulations? You have been saying repeatedly; I remember you having said two or three times that the Ministers were taking notes. In spite of that direction, they do not come forward here. Papers take it up as a public issue; you have permitted its mention because it is a paramountly important public issue but the Ministers keep mum. That is exactly what they do all the time with their guilty conscience over hundred things. Are we

[Shri H N Mukerjee]

going to tolerate it? Cannot the chair do some sort of a laying down of the norms of parliamentary activity?

SHRI S M BANERJEE I can only appeal to the Minister through you He has told the Central Government employees' deputation He has to tell this House This is a central matter It is based on the Pay Commission report Four instalments are due but Government is not paying them I want to know the reason for that Let the Finance Minister say that he will make a statement next week I shall be satisfied with that

MR DEPUTY-SPEAKER He has heard you What else do you want me to do?

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta—South) I want to know one information from the Deputy Minister of Home Affairs and the Finance Minister A noted smuggler was not arrested when Haji Mastan and others were arrested Mohamad Yasin is a top smuggler political patronage I want to know from Tamilnadu Reports said that he had gone to Singapore and Hong Kong but they were false Yasin is still living in Tamilnadu with full political patronage I want to know why he had not been detained

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C SUBRAMANIAM With regard to the dearness allowance question, it is under the active consideration of the Government and as soon as a decision is taken, certainly I will make a statement before the House.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) Desision means what? To pay or not to pay?

SHRI C SUBRAMANIAM I have to find the money

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) उपाध्यक्ष महोदय, बिहार मे जिस तरह से लडकों को जेल मे पीटा गया उस सवाल पर मै माननीय मधु लिमये जी का समर्थन तो करता ही हू लेकिन साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हू कि श्री राजेन्द्र प्रसाद भारत के सब से प्रथम राष्ट्रपति रहे है। उनकी जयन्ती समारोह पर पुलिस ने डडा चलाया और दर्जनो लोग घायल हुए। क्या यह राष्ट्रपति के जयन्ती समारोह का अपमान वहा की पुलिस ने नही किया ? इस को राज्य का विषय कह कर टाल दिया जायगा ?

दूसरे—उत्तर प्रदेश मे इलाहाबाद यूनीवर्सिटी को, यद्यपि यह यूनीवर्सिटी भी राज्य का विषय है लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से उस को मदद दी जाती है, एक हफ्ते, दो हफ्ते के लिये, जैसा मन म आता है, वाइस चान्सलर बन्द कर देते है। आज की खबर है कि उस यूनीवर्सिटी को फिर बन्द कर दिया गया है। यही यूनीवर्सिटी नही, सारे हिन्दुस्तान की यूनीवर्सिटीज और कालिजिज की यह हालत है कि विद्यार्थी जब भी कोई जायज माग लेकर आते है वाइस-चान्सलर उनको बन्द कर दिया करते है। मैं चाहूगा कि इस पर शिक्षा मंत्री जो यहा आ कर वक्तव्य दे।

श्री मधु लिमये यह ठीक बात है—जहा लडके माग करते है कि कालिज—विश्व-विद्यालय बन्द करो, वहा तो जबरदस्ती खोलते हैं और जहा कहते हैं कि खोलो, वहा बन्द कर देते हैं।